दिनांक 23.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एएनटीएफ-एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ/एएनटीएफ थाना मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा बिहार से अवैध चरस लाकर तस्करी कर रहे गिरोह के 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध चरस (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये) 02 अदद मोबाइल व 1300/- रूपये बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री भगवान दास ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में ए.एन.टी.एफ. ऑपरेशनल यूनिट मेरठ/ए.एन.टी.एफ. थाना मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर 1-सतेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चन्द उर्फ ओमप्रकाश निवासी पावली, रोड मोदीपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ, 2-राजीव शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी LB-31, डबल स्टोरी, फेस-2, पल्लवपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ को दिनांक 22.06.2025 को समय करीब 15.40 बजे थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ क्षेत्र ABS ट्रेडर्स फैक्ट्री जटौली पावली रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध चरस (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये) 02 अदद मोबाइल व 1300/- रूपये नकद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ में मु0अ0सं0 424/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-गिरफ्तार शुदा अभियुक्त सतेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि मैं और मेरा साथी राजीव शर्मा एक साथ 20 तारीख को बस से मुरादाबाद के लिये निकले थे। मुरादाबाद से मै और राजीव ट्रेन से अगले दिन सुबह बेतिया पहुंचे थे, वहां पहुंचकर हम होटल में ठहरे थे। वहीं पर मेरी बात व्हाट्सएप कॉल से राजू गुप्ता निवासी बेतिया, बिहार से बातें हुई थीं, वह हमारे पास होटल पर ही आया था। वहीं पर उसने हमसे नगद रूपये लेकर हमको 10 किलो चरस दे दी थी। उस चरस को बैग में रखकर

वापसी में हम फिर ट्रेन से 21 तारीख को बेतिया से मुरादाबाद के लिये निकले थे। आज सुबह मुरादाबाद पहुँचकर वहाँ से बस पकडकर मेरठ बस अड्डे आये फिर यहां अपनी फैक्ट्री पर आये थे। यहीं पर हम दोनों ऑफिस में बैठकर, बैग खोलकर चरस के बन्डलों से पिन्नी निकलाकर अलग कर रहे थे, चरस को अलग से पैक कर सप्लाई करना था, तभी आपने हमें पकड लिया। इस चरस को मैं और राजीव शर्मा मिलकर मांग के अनुसार फुटकर में बेच देते। कुछ ही दिनों में सावन का कांवड मेला आ रहा है, जिसपर भी चरस की डिमांड बढ जाती है, जो महंगे दामों में बिक जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1–सतेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चन्द उर्फ ओमप्रकाश निवासी पावली, रोड मोदीपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ।

2–राजीव शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी LB–31, डबल स्टोरी, फेस–2, पल्लवपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ।

नाम पता वांछित अभियुक्त का विवरण

1– राजू गुप्ता निवासी बेतिया बिहार।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक–22–06–2025 समय– 15.40 बजे, स्थान – ABS ट्रेडर्स फैक्ट्री जटौली पावली रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण–

1– 10 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये)

2– 02 अदद मोबाइल

3– 1300/– रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– उ0नि0 श्री राहुल कुमार सिंह ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ ।

2– मु0आ0 नवीन कुमार भारद्वाज ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ ।

3– मु0आ0 पंकज कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।

4– आ0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।

सहयागार्थ थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ पुलिस टीम

1– उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

2– उ0नि0 श्री विशाल कुमार थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

3– उ0नि0/यू0टी0 श्री दीपक शाहू थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

4– हे0का0 355 हरीश चौधरी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

सहयोगार्थ सर्विलांस टीम मुख्यालय लखनऊ

1– एस. आई. एम राजेश मिश्र (सर्विलांस प्रभारी) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ ।

2– टीम सर्विलांस एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 22.06.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू उर्फ त्रिभुवन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लंका पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कल्लू उर्फ त्रिभुवन निवासी भगवतीपुर थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर/थाना दुबौलिया

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.06.2025 को थाना परसरामपुर, थाना दुबौलिया, थाना वाल्टरगंज व एसओजी/सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार भिन्न–भिन्न स्थानों से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–गौतम सिंह 2–अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त गौतम सिंह के विरूद्ध जनपद बस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानों पर लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर व थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौतम सिंह निवासी ग्राम तावेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

2–अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी निवासी नगरा पूरे बदली थाना छावनी जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–10 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना कन्दवा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 70 हजार 800 रूपये नगद**
- **लूट का 01 टैबलेट, 01 मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.06.2025 को थाना कन्दवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमड़ा तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–मोनू 2–आकाश 3–बहादुर 4–अरविन्द को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 70 हजार 800 रूपये नगद, लूट का 01 टैबलेट, 01 मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.06.2025 को थाना कन्दवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कन्दवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, टैबलेट, मोटर साइकिल आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कन्दवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू निवासी शिवराजपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

2–आकाश निवासी रामपुर थाना अदालहाट जनपद मिर्जापुर।

3–बहादुर निवासी जगरनाथपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

4–अरविन्द निवासी नैपुरवा थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी

1–लूट के 70 हजार 800 रूपये नगद।

2–लूट का 01 टैबलेट, 01 मोटर साइकिल।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 41 हजार 200 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.06.2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरकतपुर रेलवे अण्डरपास पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अर्जुन उर्फ घोड़ा 2–दीपक उर्फ गुल्ला घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 41 हजार 200 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन उर्फ घोड़ा के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, इटावा, कमिश्नरेट आगरा व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 19 अभियोग एवं अभियुक्त दीपक उर्फ गुल्ला के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद कमिश्नरेट आगरा व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अर्जुन उर्फ घोड़ा निवासी विष्णुपुरा थाना बाह कमिश्नरेट आगरा।

2–दीपक उर्फ गुल्ला निवासी विष्णुपुरा थाना बाह कमिश्नरेट आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 41 हजार 200 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद अलीगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 15 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस ने अभियुक्त 1–अनिरूद्ध यादव उर्फ सुनील उर्फ राजीव पुत्र ओमप्रकाश नि0गण ग्राम टुआमई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ 2–अभियुक्ता द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 15 लाख रूपये को धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————